राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत दौलतपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2017

1. पवन कुमार
2. पंकज नेहरा } पुत्रगण श्री जगदीश नेहरा जाति जाट निवासीगण फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. जगदीश नेहरा पुत्र श्री हरलाल
4. सरस्वती पत्नी श्री जगदीश नेहरा } जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत पाईप लाईन

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार राज अप्रार्थी

– :: निर्णय ::– **दिनांक :– 30.05.2017**

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम चक 3 ई बड़ी प्रथम शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 10 में 1.114 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर कृषि भूमि मय खाला दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी संख्या 4 के नाम चक 3 ई बड़ी द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 37 में 2.024 हैक्टर कृषि भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 21.07.2016 को खरीदंशुद्धा है।

प्रार्थीगण के चक 3 ई बड़ी द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 6 में टयुबवैल लगा है। तथा इस टयूबवैल से प्रार्थीगण अपनें मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 2.530 हैक्टर कृषि भूमि को टयूबवैल के पानी से सिंचित करना चाहते है। प्रार्थीगण की चक 3 ई बड़ी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 10 की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 38 के उत्तर दिशा में स्थित है जो कि मुरब्बा नम्बर 38 के किलानम्बर 6 से केवल 3 मुरब्बा की दूरी पर स्थित है।

प्रार्थीगण के इन दोनों मुरब्बों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सरकारी रास्ता जो 16–1/2 फुट चौड़ा है से जोड़ता है प्रार्थीगण इस सरकारी रास्ता की भूमि में 4 फुट चौड़ी एवम् 3 फुट गहरी पाईप लाईन डालनें की अनुमति श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण चक 3 ई बड़ी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 10, 12 एवम् चक 3 बड़ी द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 14, 35, 37 प्रत्येक मुरब्बा के प्रत्येक किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में जो रास्ता मन्जूर शुद्धा है की पश्चिमी दिशा में पाईप लाईन डालनें की स्वीकृति चाहते है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण द्वारा उक्त पाईप लाईन डालनें नें सरकारी भूमि को किसी प्रकार से नुकसान कारित नहीं करेगा। अपितु प्रार्थीगण अपनी मुरब्बा नम्बर 10 में स्थित कृषि भूमि में सिंचाई कर उसे अधिक उपजाऊ बना सकेगे। प्रार्थीगण डी.एल.सी. रेट के अनुसार 4 फुट चौडाई का मुआवजा देने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थीगण को भी चक 3 ई बड़ी द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 6 से चक 3 ई बड़ी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 11 तक सरकारी रास्ता के साथ साथ रास्ते की पश्चिती दिशा में या रास्ते के मध्य में जहां न्यायालय अनुमति प्रदान करें 4 फुट चौड़ाई में एवम् 4 फुट गहराई में पाईप लाईन डालनें की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा जबाब पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण चक 3 ई बड़ी द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 6 में टयुबैल से अपनी भूमि चक 3 ई बड़ी प्रथम में मुरब्बा नम्बर 11 की 2.530 हैक्टर भूमि में पानी लाना चाहता है। प्रार्थी के दोनो मुरब्बों के उत्तर से दक्षिण दिशा में सरकारी रास्ता है। रास्ते के मध्य से पाईप लाईन बिछानें की अनुमति दी जानी उचित है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 3 ई बड़ी द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 6 से चक 3 ई बड़ी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 11 तक सरकारी रास्ता के साथ साथ रास्ते की पश्चिती दिशा में 4 फुट चौड़ाई में एवम् 4 फुट गहराई में पाईप लाईन डालनें की स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. पाईप लाईन भूमि में चार फीट गहराई में दबाई जावेगी।
2. पाईप लाईन में किसी प्रकार की खराबी होनें के कारण प्रार्थी द्वारा ही उसकी मरम्मत की जावेगी मरम्मत के दौरान भूमि में रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावेगा। यदि पाईप लाईन की मरम्मत के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो प्रार्थी द्वारा अपनें खर्चे पर रास्ते की मरम्मत की जावेगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा पाईप लाईन डालनें से पूर्व 4 फुट चौडाई का मुआवजा डी.एल.सी. दर से दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाना होगा।
4. भूमि का मालिकाना हक राज्य सरकार को होगा। इस सम्बंध में प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार की दावेदानी नहीं की जावेगी।
5. राज्य सरकार की योजना के अनुसार यदि पाईप लाईन उखाड़नें हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया जावेगा तो प्रार्थी को अपनें खर्चे से पाईप लाईन उखाड़नी होगी यदि प्रार्थी द्वारा पाईप लाईन नहीं उखाड़ी जाती है, तो विभाग द्वारा किसी सूचना के पाईप लाईन को उखाड़ दिया जावेगा जिसके समस्त खर्चे का भुगतान प्रार्थीगण से वसूल किया जावेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 30.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दौलतपुरा के मजमे आम सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर